(ख) इस संस्था द्वारा मुद्रित अथवा प्रकाशित पुस्तकों का किन प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है; और

(ग) कौन-कौन से राज्य इस संस्था द्वारा तैयार की गई पुस्तकों को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करने को सहमत हो गये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् आदर्श (माडल) पाठ्य पुस्तकों का अंग्रेजी एवं हिन्दी में निर्माण करती है और इन्हें अपनाने अथवा अनुकूलन के लिये राज्य सरकारों को भेजती है । शत-प्रतिशत अपनाना अपेक्षित नहीं है, इसलिये क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद एवं उचित परिवर्तनों के साथ प्रकाशन राज्य प्राधिकारियों द्वारा ही किया जाता है ।

(ख) उपलब्ध सूचना विवरण (1) में दी गई है जिसे सभा-पटल पर रख दिया गया है । **(पुस्तकालय में रख दिया गया । देखिये संख्या LT-2263/68]** ।

(ग) विवरण (2) सभा-पटल पर रख दिया गया है । **(पुस्तकालय में रख दिया गया । देखिये संख्या LT-2263/68]** ।

REPORTS OF THE ADMINISTRATIVE REFORMS COMMISSION

*288. SHRI HEM RAJ : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of Study Teams and Study Groups of the Administrative Reforms Commission which have submitted their reports;

(b) which of the reports have been studied by Government;

(c) what are their main features; and

(d) whether a copy of each report of the Study Team/Study Group will be laid on the Table of the House ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (d). Seventeen study teams and eight working groups have submitted their final reports to the Administrative Reforms Commission. These reports are intended to assist the Commission in arriving at its own conclusions. Consequently the question of Government studying them does not arise, except when this is necessary to process any of the Commission's reports. Copies of the final reports of the study teams/working groups have been placed in the Parliament Library.

बिहार में अराजपत्रित कर्मचारियों पर मुकदमे

***289. श्री क० मि० मधुकर :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हड़ताल के सम्बन्ध में बिहार में कितने अराजपत्रित कर्मचारियों पर अभी तक मुकदमा चलाया जा रहा है, कितने कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है तथा निलम्बित कर्मचारियों में से कितनों को पुनः काम पर आने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सब मामलों को वापस लेकर उनमें पारस्परिक आस्था तथा सद्भावना पैदा करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक ऐसी कार्यवाही की जायेगी;

(घ) क्या सरकार यह घोषित करने की स्थिति में है कि सरकारी कर्मचारियों को अपनी उचित तथा न्यायसंगत मांगों के लिये हड़ताल करने का अधिकार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उन कर्मचारियों की संख्या के बारे में सूचना, जिन पर अभी